कानपुर नगर निगम

दिनांक 31.01.2024 एवं दिनांक 17.02.2024 को स्थगित एवं दिनांक 19.02.2024 को नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन सभागार में सम्पन्न हुई, मा0 सदन की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 19.02.2024 दिन सोमवार को नगर निगम मुख्यालय स्थित सदन सभागार में आहूत मा0 सदन की बैठक में उपस्थिति।

		श्री मती प्रमिला पाण्डेय	मा0 महापौर
1	1	श्री विकास साहू	पार्षद / सदस्य
2	2	**श्रीमती कल्पना**	पार्षद / सदस्य
3	3	श्री इशरत अली	पार्षद / सदस्य
4	5	**श्री आलोक पाण्डेय**	पार्षद / सदस्य
5	7	श्री अनिल कुमार	पार्षद / सदस्य
6	8	श्रीमती मन्जू कुशवाहा	पार्षद / सदस्य
7	9	**श्रीमती कविता**	पार्षद / सदस्य
8	10	सुश्री लक्ष्मी कोरी	पार्षद / सदस्य
9	11	श्रीमती विजय लक्ष्मी यादव	पार्षद / सदस्य
10	12	श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद / सदस्य
11	13	श्री वीरेन्द्र सिंह	पार्षद / सदस्य
12	14	श्रीमती शालू	पार्षद / सदस्य
13	15	श्री सौरभ देव	पार्षद / सदस्य
14	16	श्रीमती विद्या देवी	पार्षद / सदस्य
15	17	श्रीमती नीलम बाथम	पार्षद / सदस्य
16	18	**श्रीमती आरती गौतम**	पार्षद / सदस्य
17	19	श्रीमती ज्योति पासवान	पार्षद / सदस्य
18	20	श्री नीरज कुमार	पार्षद / सदस्य
19	21	श्री धीरेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
20	22	श्री शुभम वर्मा	पार्षद / सदस्य
21	23	श्री राम नारायण	पार्षद / सदस्य
22	24	श्री वेद प्रकाश	पार्षद / सदस्य
23	25	श्री नीरज सिंह	पार्षद / सदस्य
24	26	श्री नरोत्तम कुमार	पार्षद / सदस्य
25	27	श्री सुनील कुमार	पार्षद / सदस्य
26	28	श्री अशोक कुमार	पार्षद / सदस्य
27	29	श्री जितेन्द्र कुमार	पार्षद / सदस्य
28	30	श्री पवन कुमार पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
29	32	श्री आकर्ष बाजपेयी	पार्षद / सदस्य
30	33	श्री धनश्याम गुप्ता	पार्षद / सदस्य
31	34	श्री नीरज कुमार गुप्ता	पार्षद / सदस्य
32	35	श्री आनन्द शुक्ला	पार्षद / सदस्य
33	36	श्रीमती मन्जू पाल	पार्षद / सदस्य
34	37	श्री पवन गुप्ता	पार्षद / सदस्य
35	38	श्री हरी स्वरूप तिवारी	पार्षद / सदस्य
36	39	श्री मनीष्र मिश्रा	पार्षद / सदस्य
37	40	श्री महेन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
38	41	श्रीमती दीप्ती तिवारी	पार्षद / सदस्य

39	42	श्री जीतेन्द्र बाजपेयी	पार्षद / सदस्य
40	43	श्री राज किशोर यादव	पार्षद / सदस्य
41	44	श्रीमती कुन्ती	पार्षद / सदस्य
42	45	**श्रीमती रेनू अर्पित यादव**	पार्षद / सदस्य
43	46	श्रीमती क्षमा शुक्ला	पार्षद / सदस्य
44	47	श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद / सदस्य
45	48	श्रीमती सरोज चड्ढा	पार्षद / सदस्य
46	49	श्री विवके शर्मा	पार्षद / सदस्य
47	50	**श्रीमती अनुप्रिया दुबे**	पार्षद / सदस्य
48	51	श्री सुधीर यादव	पार्षद / सदस्य
49	52	श्री धीरन्द्र कुमार त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
55	53	**श्रीमती नित्या बाजपेयी**	पार्षद / सदस्य
51	54	श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद / सदस्य
52	55	**श्रीमती अन्जुली दीक्षित**	पार्षद / सदस्य
53	56	श्री नूर आलम	पार्षद / सदस्य
54	57	**श्रीमती आरती त्रिपाठी**	पार्षद / सदस्य
55	58	श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय	पार्षद / सदस्य
56	59	श्री गोविन्द मोहन शुक्ला	पार्षद / सदस्य
57	60	श्रीमती शुभा शुक्ला	पार्षद / सदस्य
58	61	**श्री अरूण कुमार गर्ग**	पार्षद / सदस्य
59	62	श्री भवानी शंकर राय	पार्षद / सदस्य
60	63	श्रीमती स्वेता गुप्ता	पार्षद / सदस्य
61	64	श्री नीरज बाजपेई	पार्षद / सदस्य
62	65	श्री योगेन्द्र शर्मा	पार्षद / सदस्य
63	66	श्री अभिनव शुक्ला	पार्षद / सदस्य
64	67	श्री देवेन्द्र कुमार द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
65	69	श्री अविन्द यादव	पार्षद / सदस्य
66	70	श्री सन्तोष साहू	पार्षद / सदस्य
67	71	श्री लियाकत अली	पार्षद / सदस्य
68	72	**श्रीमती वन्दना शर्मा**	पार्षद / सदस्य
69	73	श्री नूरेन अहमद	पार्षद / सदस्य
70	74	श्रीमती नीलम शुक्ला	पार्षद / सदस्य
71	75	मोहम्मद उमर	पार्षद / सदस्य
72	76	श्री कौशिक बाजपेई	पार्षद / सदस्य
73	77	श्री अखिलेश कुमार बाजपेई	पार्षद / सदस्य
74	78	श्री यशपाल सिंह	पार्षद / सदस्य
75	79	**श्री विकास जायसवाल**	पार्षद / सदस्य
76	80	श्रीमती मधु यादव	पार्षद / सदस्य
77	82	श्रीमती रिचा द्विवेदी	पार्षद / सदस्य
78	83	फरहा नाज	पार्षद / सदस्य
79	84	श्री अमित जायसवाल	पार्षद / सदस्य

80	86	श्री कमलेश त्रिवेदी उर्फ दद्दा	पार्षद / सदस्य
81	87	श्री सतीश कुमार यादव	पार्षद / सदस्य
82	88	श्रीमती कंचन शुक्ला	पार्षद / सदस्य
83	89	श्री सुशील तिवारी	पार्षद / सदस्य
84	90	श्री आदर्श गुप्ता	पार्षद / सदस्य
85	91	श्री विनोद गुप्ता	पार्षद / सदस्य
86	92	श्री अवधेष त्रिपाठी	पार्षद / सदस्य
87	93	श्री नवीन पण्डित	पार्षद / सदस्य
88	94	सय्यद अनवर अली	पार्षद / सदस्य
89	95	श्रीमती सौम्या शुक्ला	पार्षद / सदस्य
90	96	रूमा फकर	पार्षद / सदस्य
91	97	तबस्सुम अमीम	पार्षद / सदस्य
92	98	श्री दीपक शर्मा	पार्षद / सदस्य
93	99	नूर जहां	पार्षद / सदस्य
94	100	श्री गिरीश बाजपेई	पार्षद / सदस्य
95	101	श्री अभिषेक गुप्ता (मोनू)	पार्षद / सदस्य
96	102	श्रीमती निशा अकील शानू	पार्षद / सदस्य
97	103	फैजान रहमान	पार्षद / सदस्य
98	104	श्री अमित गुप्ता	पार्षद / सदस्य
99	105	मो0 मेराज	पार्षद / सदस्य
100	107	**श्री राशिद महमूद**	पार्षद / सदस्य
101	108	श्री जावेद अख्तर गुड्डू	पार्षद / सदस्य
102	109	श्री हाजी सुहेल अहमद	पार्षद / सदस्य
103	110	मो0 नौशाद	पार्षद / सदस्य

अधिकारीगण

1. श्री शिवशरणप्पा जी.एन. — नगर आयुक्त
2. मो0 अवेश — अपर नगर आयुक्त
3. श्री जगदीश यादव — अपर नगर आयुक्त
4. श्री अमित भारतीय — अपर नगर आयुक्त
5. श्री अवनीन्द्र कुमार — अपर नगर आयुक्त
6. श्री मनीष अवस्थी — मुख्य अभियन्ता "सिविल"
7. श्री कृपा नन्द शुक्ला — मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
8. डा0 अमित सिंह — नगर स्वास्थ्य अधिकारी / प्रभारी अधिकारी वर्कशाप
9. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी — प्रभारी महाप्रबन्धक "जलकल"
10. श्री राजेश सिंह — सचिव नगर निगम

सर्वप्रथम वन्दे मातरम (राष्ट्रगीत) गायन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर नगर आयुक्त ने मा0 पार्षदगण, अधिकारी/कर्मचारी एवं मीडिया बन्धुओं का स्वागत करते हुए अपर नगर आयुक्त ''प्रथम'' को सदन की बैठक दिनांक 26.08.2024, 09.10.2024 दिये गये निर्देश एवं प्रस्तावों पर की गयी कार्यवाही की आख्या से सदस्यों अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया।

अध्यक्ष ने कहा कि बहुत वर्षो तक संघर्ष के बाद अयोध्या में श्रीराम लला जी का जन्मस्थान में प्राण–प्रतिष्ठा हो गयी है। भगवान का कई लोग दर्शन कर आये है जो नहीं दर्शन कर पाये है, सभी को दर्शन कराया जायेगा। आप सभी को बहुत–बहुत बधाई।

मो0 अवेश, अपर नगर आयुक्त ने सदन की बैठक दिनांक 26.08.2024, 09.10.2024 दिये गये निर्देश एवं प्रस्तावों के सम्बन्ध में निम्नवत अवगत कराया गया :–

प्र0 सं0	प्रस्ताव	आख्या
02	**दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का संख्या–03 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–** **नगर आयुक्त महोदय कार्यालय के पत्र संख्या– 336/3/प दिनांक 30.06.2023 को अधिनियम की धारा 148 एवं 221 के अन्तर्गत सूचनार्थ प्रेषित** प्रस्ताव नगर निगम सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्तियों पर आरोपित एवं देय सामान्य कर (गृहकर) की दरें विगत वर्षो की भॉति वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु निम्न प्रकार से प्रस्तावित है :– नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित सम्पत्तियों के ऐसे भवन स्वामी/अध्यासी जिनके द्वारा प्रति वर्ष नियमित रूप से नगर निगम का गृहकर भुगतान किया जाता है, के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुये नगर निगम के वसूली अभियान में गति लाने तथा ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहित करने हेतु मा0 सदन की समयावधि समाप्ति होने एवं नई मा0 सदन के गठन न होने के कारण वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह अप्रैल 2023 से जुलाई 2023 तक इन करदाताओं को प्रोत्साहित करने एवं नगर निगम की सतत् राजस्व वसूली को दृष्टिगत रखते हुये, तत्समय जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय के अनुमोदनोपरान्त 10 प्रतिशत छूट प्रदान की गई, पर मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन की स्वीकृति एवं तदोपरान्त नगर आयुक्त को प्रत्येक माह एक–एक माह के लिये अधिकतम माह दिसम्बर 2023 तक के लिये 10 प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा0 कार्यकारिणी एवं मा0 सदन के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। **.............तद्नुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।**	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के पत्र सं0 डी/183/सी0टी0ओ0/23–24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसे करदाताओं जिन पर कोई बकाया अवशेष न हो और चालू वर्ष की पूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा करने पर चालू मांग पर 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा चुकी है। जनता को सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण हिन्दी संस्करण दिनांक 01.12.2023 में प्रकाशित किया गया है।
03	**दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–14 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–** श्री अभिषेक गुप्ता, पार्षद, वार्ड–101, चौक सर्राफा द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना। **विषयः– कानपुर महानगर के अन्तर्गत पेड़ कटिंग के लिये टीमो की नियुक्ति।** अवगत कराना है कि कानपुर नगर निगम के अन्तरगत आधी, पानी व बहुत लटके हुए पेड़ो कटाई के लिए दो टीमों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है। वर्तमान मे पेड़ कटाई के लिए कोई टीम नगर निगम मे उपलब्ध नहीं है। अतः स्वीकृति प्रदान करे।	उद्यान अधीक्षक के पत्र संख्या डी/1356/उद्यान/2023–24 दिनांक 15.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर नगर निगम सीमा अन्तर्गत आंधी पानी व बहुत लटके हुये पेड़ो की कटाई हेतु टीमों के गठन हेतु पत्रावली अग्रसारित की गयी है।

	.... तद्नुसार टीम बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।	
4	**दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–21 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–** श्री हरि ओम वाल्मीकि, महामंत्री, कर्मचारी संयुक्त संघ के द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना। **विषय : कानपुर नगर निगम व जलकल विभाग में कार्यरत संविदा/एवजदार (मार्ग प्रकाश) एवं समस्त आउटसोर्सिंग कर्मियों की आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यु होने पर अनुदान स्वरूप बीमा धनराशि रू0 5,00,000/–स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध मे।** कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संघ आपका ध्यान कानपुर नगर निगम में कार्यरत संविदा एवजदार व आउटसोर्सिंग कर्मियों की ओर आकर्षित करना चाहता है। जो पूरी लगन, निष्ठा व ईमानदारी से कार्य को सम्पादित करते है, परन्तु इन कर्मचारियों के साथ्ज्ञ आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यु होने के उपरान्त कोई अनुदान व बीमा धनराशि प्राप्त न होने के कारण इनके परिवार के लोगों को कर्जा इत्यादि लेकर इनका अन्तिम संस्कार व अन्य कार्यक्रम तथा परिवार का पालन करने में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जो कि अत्याधिक खेद का विषय है। उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि जैसे गाड़ी चालक, माली, सफाई कर्मचारी, कम्प्यूटर आपरेटर, एवजदार (मार्ग प्रकाश) व अन्य आउटसोर्सिंग कर्मी जो सरकारी कार्य के दौरान दुर्घटना/मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप इन कर्मियों को अनुदान व बीमा धनराशि प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः संघ आपसे अनुरोध के साथ प्रार्थना करता है कि कानपुर नगर निगम/जलकल विभाग में उपरोक्त कर्मियों की दुर्घटना व आकस्मिक मृत्यु होने पर अनुदान स्वरूप बीमा की राशि रू0 5,00,000/– करने व समस्त कर्मियों का बीमा कार्ड दिलाये जाने की कृपा करें। **..................तद्नुसार शासनादेश में उल्लिखित नियमों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाये।**	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी के पत्र संख्या डी/336/सी0ए0ओ0/2023–24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा प्रभारी अधिकारी कार्मिक का पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें कानपुर नगर निगम व जलकल विभाग मे कार्यरत संविदा/एवजदार (मार्ग प्रकाश) एवं समस्त आउटढडोर कर्मियों की आकस्मिक दुर्घटना व मृत्यु होने पर अनुदान स्वरूप बीमा रू0 पॉच लाख स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 कार्यकारिणी समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव इस आशय के साथ प्रदान की गयी है कि शासनादेश मे उल्लिखित नियमों का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हुए मा0 सदन को अवगत कराने का कष्ट करें।
8	**दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–27 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–** पत्रांक :– डी/ 302 बी /कै0कै0/23–24 दिनांक :–04/07/2023 **<u>कान्हा उपवन किशनपुर के पास पड़ी रिक्त भूमि पर डॉग केयर सेंटर का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव</u>** वर्तमान में जनप्रतिनिधियों, सामान्य नागरिको एवं विभिन्न माध्यमों से पागल श्वानों, मानव एवं श्वानों के बीच संघर्ष की शिकायते प्राप्त हो रही जिसमें आवारा श्वानो को क्षेत्र से हटाये जाने हेतु कहा गया है, जिसे समाधान हेतु ए डॉग केयर सेन्टर की अत्यंत आवश्यकता है। शासन स्तर से भी नगर निगमो डॉग केयर सेन्टरका निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। कान्हा गौशाला, किशनपुर के पास पड़ी रिक्त भूमि पर एक डॉग केयर सेन्टर की स्थापना कराया जा सकता है। डॉग केयर सेन्टर की स्थापना पर लगभग 01 करोड़ का व्यय अनुमानित है, जहॉ पर 400 श्वानो को संरक्षित करने एवं उनकी देखभाल की समुचित व्यवस्था की जायेगी। **............. तद्नुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन से अनुमति हेतु अग्रसारित किया गया।**	प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग के पत्र संख्या 1019/कै0कै0/23–24 दिनांक 30.10.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि बजट आवंटन की कार्यवाही लेखा विभाग द्वारा किया जाना है। निर्माण कार्य मुख्य अभियन्ता (सिविल) द्वारा किया जाना है। तर्वमान मे सी0एनडी0एस0 के द्वारा कुत्तो के लिये ए0बी0सी0 सेन्टर का निर्माण किया जा रहा हैं।
9	**दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–28 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–**	प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग के पत्र संख्या 1019/कै0कै0/2023–24 दिनांक 30.10.2024 के द्वारा अवगत कराय गया है

<table>
<tr>
<td></td>
<td>पत्रांक :– डी/ 302 ए /कै0कै0/23–24 दिनांक :–04/07/2023
<u>नगर निगम सीमा में विभिन्न प्रजाति के बिल्लियों को पालने पर रजिस्ट्रेशन कराये जाने का प्रस्ताव</u>
नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की बिल्लियों को पालने का प्रचलन बढ़ रहा है। नगर निगम सीमान्तर्गत निवास कर रहे नागरिको द्वारा देशी/विदेशी नस्लो की बिल्लियो को बिना मानक के संरक्षित किया जा रहा है, जिससे पड़ोसियो/मोहल्ले वासियो को विभिन्न कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम अधिनियम 1959 में लाइसेन्स लिये जाने का प्राविधान है। नगर निगम क्षेत्र में बिल्लियो को पालने हेतु नगर निगम कानपुर से रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त प्रजाति की बिल्लियो को पालने हेतु प्रति बिल्ली धनराशि रू0 300.00 रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया गया है। निरीक्षण के समय बिल्ली का लाइसेन्स न दिखाने पर धनराशि रू0 5000.00 का जुर्माना लगाया जायेगा अन्यथा की स्थिति में बिल्ली को जब्त किये जाने का प्राविधान है।
.... तद्नुसार नियमानुसार जुर्माना हेतु स्वीकृति प्रदन की गयी।</td>
<td>कि नगर निगम सीमान्तर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रजातियों की बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 300.00 है अब तक 135 बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन रू0 40500.00 (रूपया चालीस हजार पॉच सौ मात्र) जमा किया गया है।</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>दिनांक 04 जुलाई एवं 05 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुई मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक का टेबुल प्रस्ताव संख्या–29 को स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 सदन के स्वीकृतार्थ हेतु अग्रसारित किया गया :–
पत्रांकः72/2/प दिनांकः 04.07.2023
<u>प्रस्ताव</u>
कानपुर नगर निगम द्वारा 07 माध्यमिक विद्यालय, 04 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 01 गॉधी संगीत महाविद्यालय संचालित है, जो काफी पुरानी एवं जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिनमें से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चुन्नीगंज में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जीर्णोद्धार किया जा रहा है। शेष विद्यालयों में जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है। जिससे नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ने के साथ ही शहर वासियों को सुरक्षित विद्यालय एवं अच्छी शिक्षा मुहैया करायी जा सके। नगर निगम द्वारा संचालित विद्यालयों का विवरण निम्नवत् है :–
<table>
<tr><th>कसं.</th><th>विद्यालय का नाम</th><th>संचालित कक्षायें</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1</td><td>महिला इण्टर कालेज सिविल लाइन्स</td><td>कक्षा 6 से 12तक बालिका</td><td>जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>महिला इण्टर कालेज तिलक नगर</td><td>कक्षा 6 से 12तक बालिका</td><td>जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>महिला इण्टर कालेज हीरामनपुरवा</td><td>कक्षा 6 से 12तक बालिका</td><td>जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।</td></tr>
<tr><td>4</td><td>आर.बी.आर.डी.इ.का. नवाबगंज</td><td>कक्षा 6 से 12तक बालिका</td><td>जीणोद्धार कीनतान्त आवश्यकता है।</td></tr>
<tr><td>5</td><td>गांधी स्मा.इ.कालेज</td><td>कक्षा 6 से</td><td>जीर्णोधार की नितान्त</td></tr>
</table></td>
<td>अधिशाषी अभियन्ता प्रोजेक्ट के पत्र संख्या डी/ 2142 /अधि0अभि0(प्रोजेक्ट)/23–24 दिनांक 17.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि क्रम सं0 8 पर अंकित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुन्नीगंज (कक्षा 01 सं 05 तक बालक/बालिका कक्षा 06 से 12 तक बालिका) विद्यालय का निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा पूर्ण करा दिया गया है। शेष यथा क्रम सं0 01 से 07 व 09 से 12 कुल 11 विद्यालयों के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पास बजट उपलब्ध न होने के कारण उक्त विद्यालयों का जीर्णोद्धार नहीं कराया जा सकता है।</td>
</tr>
</table>

	गोविन्द नगर	12तक बालक	आवश्यकता है।	
6	श्री रतन शुक्ल इ. कालेज जूही	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।	
7	डी.पी.एस. इण्टर कालेज नवाबगंज	कक्षा 6 से 12तक बालक	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।	
8	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चुन्नीगंज	कक्षा 1 से 5 तक बालक/बालिका कक्षा 6 से 12 तक बालिका	**स्मार्ट सिटी द्वारा निर्माण कार्यकराया जा रहा है।**	
9	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय काकोदव	कक्षा 1 से 5 तक बालक/बालिका कक्षा 6 से 12 तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।	
10	उच्चतर माध्यमिक वि0 किदवई नगर	कक्षा 6 से 12 तक बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।	
11	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जूही	,,	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।	
12	गांधी संगीत महाविद्या0 सिविल लाइन्स	प्रारम्भिक से अलंकार तक बालक/बालिका	जीर्णोधार की नितान्त आवश्यकता है।	

अतः छात्रहित एवं विद्यालय हित में उपरोक्त 11 विद्यालयों में जीर्णोद्धार कार्य
कराये जाने की स्वीकृति हेतु मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत है।

सभापति ने कहा कि चूँकि स्कूली बच्चों के लिये स्पोर्टस सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिये बहुत कम स्थान है। भारत सरकार भी खेलो इंडिया खेलो के तहत बच्चो में खेल प्रतिभाओं को बढ़ाया जा रहा हैं। कानपुर में भी स्कूलों बच्चो में खेल प्रतिभाओ के विकास की आवश्यकता है।

..............तद्नुसार 'खेलो इंडिया खेलो' के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, काकादेव को पी0पी0पी0/स्मार्ट सिटी/अवस्थाना निधि से स्पोर्टस स्कूल के रूप में पुनरूद्धार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

12	प्रभारी अधिकारी ''कार्मिक'' के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त महोदय द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया	प्रभारी अधिकारी कार्मिक के पत्रांक 118/2023–24/क दिनांक 29.01.2024

	जाना। **मा0 सदन की बैठक दिनांक 26.08.2023 हेतु टेबुल प्रस्ताव** **प्रत्येक जोन में 05–05 भूतपूर्व सैनिक रखे जाने के सम्बन्ध में** नगर निगम, कानपुर के जोनों में प्रतिदिन अतिक्रमण, कर वसूली, अवैध विज्ञापन, नाला–नाली पर अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था में जुर्माना इत्यादि कार्यो में नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों को अभियान में असामाजिक तत्वों एवं अतिक्रमणकारियों द्वारा विरोध का सामना करना पड़ता है। उक्त अभियानों में सुरक्षा के दृष्टिगत नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ सुरक्षा हेतु 05–05 भूतपूर्व सैनिक (गन सहित) कुल 30 सैनिकों की आवश्यकता है। उक्त सैनिक जोनल कार्यालय में तैनात रहेंगें एवं नगर निगम के राजस्व, अभियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सभी जोन में आवश्यकतानुसार अभियान पर जायेंगे। इन सैनिकों के वेतन पर लगभग 9,00,000.00 (लगभग रूपये 9 लाख) का व्ययभार प्रतिमाह आयेगा। अतएव नगर निगम के प्रत्येक जोन हेतु 05–05 कुल 30 भूतपूर्व सैनिक उ0प्र0 सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से रखे जाने हेतु मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृत्यर्थ प्रस्तुत है। **.............तद्नुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी।**	द्वारा अवगत कराया गया है कि 05–05 भूतपूर्व सैनिकों में 01 जे0सी0ओ0 एवं 04 एन0सी0ओ0 (निःशस्त्र) की टीम सभी 06 जोनेां में तैनात किये जाने के सम्बन्ध में 12 जे0सी0ओ0 एवं 40 एन0सी0ओ0 की सूची उ0प्र0 भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम, विकास नगर प्रेषित कर सूची मंगाई गयी है, ताकि सैनिकों की चयन कार्यवाही की जा सके।
13	<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 13</u> **अधिशाषी अभियन्ता (प्रोजेक्ट) के प्रस्ताव पर नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में स्विमिंग पुल का निर्माण कराया गया है। स्विमिंग पुल के निर्माण के पश्चात् पुल का सफलतापूर्वक रख–रखाव एवं संचालन अत्यन्त आवश्यक है। अतः कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा निर्मित स्विमिंग पुल के रख–रखाव व संचालन हेतु कानपुर नगर निगम द्वारा निविदा कराये जाने व संचालन एवं रख–रखाव हेतु अनुमति कानपुर नगर निगम की शर्तो के अनुसार प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष सादर स्वीकृतार्थ प्रेषित है। **............. विस्तृत विवरण सहित आगामी मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करें।**	अधिशाषी अभियन्ता प्रोजेक्ट के पत्र संख्या डी/2142/अ0अभि0(प्रोजेक्ट)/23–24 दिनांक 17.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि फूलबाग स्थित नानाराव पार्क में स्विमिंग पुल के रख–रखाव व संचालन हेतु कानपुर नगर निगम द्वारा निविदा जारी कर दी गयी है।
15 16, 17	**15–प्रभारी मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** मार्ग प्रकाश विभाग मे वर्तमान मे 07 हाइड्रोलिक लैडर विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध है। परन्तु यह सभी हाइड्रोलिक लैडर लगभग 10 वर्ष पुरानी है। आये दिन खराब होती रहती है, जिससे मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण का कार्य बाधित होता है। ऐसी स्थिति मे हाइड्रोलिक लैडर की अत्यन्त कमी है, जिसके लिये निम्न प्रकार से मार्ग प्रकाश हेतु हाइड्रोलिक लैडर कय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। 1. जोन–01 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00 2. जोन–02 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. <u>13,50,956.00</u> **कुल धनांक रू0. 27,01,912.00**	प्रभारी अधिकारी (विद्युत) के पत्रांक डी/605/प्र0अभि0 (वि0) दिनांक 15.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 सदन की बैठक दिनांक 09.10.2023 के पारित प्रस्ताव संख्या 15,16,17 के क्रम में अवगत कराया गया है कि हाइड्रोलिक लैंडर स्मॉल साइज क्रय किये जाने की कार्यवाही वर्कशाप विभाग द्वारा की जा रही है।

	अतः नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत 02 नग हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज क्रय किये जाने हेतु कुल धनांक रू0. 27,01,912.00 की मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है। ....**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।** **16–प्रभारी मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** मार्ग प्रकाश विभाग मे वर्तमान मे 07 हाइड्रोलिक लैडर विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध है। परन्तु यह सभी हाइड्रोलिक लैडर लगभग 10 वर्ष पुरानी है। आये दिन खराब होती रहती है, जिससे मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण का कार्य बाधित होता है। ऐसी स्थिति मे हाइड्रोलिक लैडर की अत्यन्त कमी है, जिसके लिये निम्न प्रकार से मार्ग प्रकाश हेतु हाइड्रोलिक लैडर क्रय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। 1. जोन–03 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00 2. जोन–04 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00 **कुल धनांक रू0. 27,01,912.00** अतः नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत 02 नग हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज क्रय किये जाने हेतु कुल धनांक रू0. 27,01,912.00 की मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है। ....**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।** **17–प्रभारी मुख्य अभियन्ता मार्ग प्रकाश द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** मार्ग प्रकाश विभाग मे वर्तमान मे 07 हाइड्रोलिक लैडर विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु उपलब्ध है। परन्तु यह सभी हाइड्रोलिक लैडर लगभग 10 वर्ष पुरानी है। आये दिन खराब होती रहती है, जिससे मार्ग प्रकाश के अनुरक्षण का कार्य बाधित होता है। ऐसी स्थिति मे हाइड्रोलिक लैडर की अत्यन्त कमी है, जिसके लिये निम्न प्रकार से मार्ग प्रकाश हेतु हाइड्रोलिक लैडर क्रय करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। 1. जोन–05 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00 2. जोन–06 हेतु हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज (टाटा 207) 01 नग रू0. 13,50,956.00 **कुल धनांक रू0. 27,01,912.00** अतः नगर निगम अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत 02 नग हाइड्रोलिक लैडर स्मॉल साइज क्रय किये जाने हेतु कुल धनांक रू0. 27,01,912.00 की मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव स्वीकृतार्थ प्रेषित है। ....**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**	
18	प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना। विषयः– नगर निगम के बारातशालाओं के किराये निर्धारण के सम्बन्ध में। कृपया अवगत कराना है कि नगर निगम के अन्तर्गत नगर निगम की बारातशालाओं को ई–निविदा के माध्यम से दिये जाने हेतु मा0 सदन के समक्ष प्रस्ताव दिया जाता है, जिसमें नगर निगम द्वारा निर्मित व हस्तान्तरित बारातशालाओं का संचालन सफल निविदा दाता द्वारा किया जायेगा जिससे नगर निगम की सम्पत्ति का संरक्षण/अनुरक्षण सुचारू रूप से हो सकेगा और कानपुर के आम जनमानस उसका लाभ ले सकें, जिस हेतु	प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति के पत्र संख्या डी/599/सम्पत्ति/2023–24 दिनांक 30. 01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 सदन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव संख्या 18 दिनां क09.10.2023 जो कि नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित नगर निगम की बारातशालाओं की ई–निविदायें किये जाने से सम्बन्धित है। इसके अनुपालन में विभाग द्वारा समस्त जोनों से उनके जोन से उनके जोन में स्थित बारातशालाओं की

	बारातशालाओं की ई–निविदा के लिये नियम व शर्तें निम्नवत हैं– **<u>निविदा की नियम व शर्तें</u>** 1. निविदा पर दिये जाने हेतु जमानती धनराशि निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत् सफल निविदा दाता को जमा करानी होगी। 2. बारातशाला की निविदा प्राप्त होने पर कार्यादेश प्राप्त उपरान्त् सभी मानक पूर्ण करने पर व्यवसाय कर सकता है। व्यवसाय सामाजिक दृष्टि को देखते हुए करना होगा, मादक पदार्थ का सेवन इत्यादि प्रतिबन्धित होगा। 3. बारातशाला में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। 4. बारातशाला में किसी प्रकार की टूट–फूट, पानी, विद्युत, रंगाई–पुताई आदि निविदादाता स्वयं के व्यय से करेगा परन्तु मरम्मत हेतु अनापत्ति मुख्य अभियन्ता कार्यालय, नगर निगम, कानपुर से प्राप्त करनी होगी। 5. बारातशाला की निविदा को विशेष परिस्थितियों में निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त महोदय में निहित होगा। निरस्तीकरण के आदेश उपरान्त् नियमानुसार जमा धनराशि आंगणित कर वापस कर दी जायेगी। 6. किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा में समस्त जिम्मेदारी संचालक की होगी। 7. सफल निविदा दाता को बारातशाला में अलग से विद्युत कनेक्शन विद्युत विभाग, कानपुर से लेना होगा। 8. बारातशाला जिस रूप में है उसी रूप में सफल निविदा दाता को स्वीकार करना होगा। 9. बारातशाला की निविदा 03 वर्ष के लिये होगी। 10. बारातशाला के व्यवसाय किये जाने से पूर्व नियमानुसार समस्त विभागों द्वारा जारी नियमों का अनुपालन करना होगा। 11. बारातशाला में व्यवसाय के दौरान गाड़ियों आदि की पार्किंग व्यवस्था निविदादाता को स्वयं के उत्तरदायित्व में करनी होगी। 12. बारातशाला पर निविदा दाता किसी भी प्रकार का होर्डिंग प्रचार नही करेगा केवल बारातशाला का बोर्ड लगा सकता है। 13. बारातशाला पर निविदा दाता सेनिटेशन का विशेष ध्यान रखेगा। 14. बारातशाला की सुरक्षा हेतु गार्ड की व्यवस्था निविदादाता स्वयं के व्यय से करेगा। 15. बारातशाला पर किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निविदादाता की जिम्मेदारी होगी। 16. बारातशाला की ई–निविदा प्राप्त होने पर सफल निविदा दाता को एक सप्ताह में अनुबन्ध नियमानुसार धनराशि के स्टाम्प पेपर पर कराना होगा। 17. बारातशाला की ई–निविदा में भाग लेने हेतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी.एस.टी. नम्बर तथा नगर निगम, कानपुर के जोनल कार्यालय से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर जमा कराना होगा। 18. बारातशाला की ई–निविदा प्राप्त होने पर निविदा दाता को जी.एस.टी. प्रभावी दर पर ली जायेगी। 19. बारातशाला की सर्वाधिक धनराशि की निविदा प्राप्त होने पर स्वीकृति का अधिकार नगर आयुक्त महोदय का होगा। 20. बारातशाला में निविदादाता और नगर निगम, कानपुर के बीच किसी प्रकार वाद–विवाद पर अन्तिम निर्णय मा0 सदन का मान्य होगा। 21. सफल निविदादाता को व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व फायर सेफ्टी उपकरण लगाना होगा। 22. यदि शासन–प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान बारातशाला की आवश्यकता होगी या बारातशाला निर्वाचन केन्द्र है तो प्रशासन	सूची मांगी गयी है, प्राप्त सूची अभिलेखों के आधार पर नगर निगम की कुल 20 बारातशायें है, जिनकी सूची संलग्न की गयी है।यथाशीघ्र मा0 सदन द्वारा स्वीकृत नियम व शर्तो के अनुसार इन बारातशालाओं की ई–निविदायें आमंत्रण की कार्यवाही की जायेगी।

	को तत्समय बारातशाला निर्वाचन हेतु उपलब्ध करानी होगी जिसका कोई शुल्क नही दिया जायेगा और न ही कोई छूट प्रदान की जायेगी। 23. निविदादाता को बारातशाला के संचालन का लगभग 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, जिसका प्रमाण उसे ई–निविदा में जमा करना होगा। 24. सफल निविदादाता अन्य किसी को बारातशाला संचालन हेतु सबलेट नही करेगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो निविदा को स्वतः निरस्त माना जायेगा और जमानती धनराशि जब्त कर ली जायेगी। 25. इन नियम व शर्तों के अतिरिक्त निविदा समिति ई–निविदा प्रकाशन के पूर्व अन्य शर्तें सम्मिलित कर सकती हैं और इस ई–निविदा को कराये जाने हेतु निविदा समिति मा0 महापौर जी व नगर आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त् ई–निविदा प्रकाशित करेगी। 26. विवाद या शिकायत प्राप्त होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय मा0 महापौर जी का होगा। **.............तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**	
21	**प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** पत्रांक :– डी/ 652 /कै0कै0/23–24 दिनांक :06.10.2023 <u>मा0 सदन हेतु टेबल प्रस्ताव</u> नगर निगम क्षेत्र मे गौवंशो को पालकर व्यवसायिक रूप से दूध का व्यापार किया जा रहा है, जिनके मालिको द्वारा गौवंशो का दूध निकालकर पशुओ को सड़क पर खुला छोड़ देते है, जिससे सड़को पर दुर्घटनाये होने संभावना रहती है। गौवंशो से निकलने वाली गंदगी के निस्तारण हेतु पर्याप्त साधन/स्थान ना होने पर गंदगी को नालो/नालियो एवं सीवर में बहाया जाता है, जिस कारण नाले/नालियां एवं सीवर आये दिन जाम रहते है। नगर निगम सीमा क्षेत्र में दो से अधिक गौवंशो को पालना प्रतिबंधित किया जाता है, यदि कोई व्यक्ति दो से अधिक गौवंशो को पालता है तो उसके विरूिद्व उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण, कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही करते हुए प्रति गौवंश धनराशि रू0 10,000.00 जुर्माना लगाया जायेगा अन्यथा की स्थिति में पशुओ को जब्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। **.....................तद्नुसार नियमानुसार जर्माना लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।**	प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग के पत्र संख्या 1019/कै0कै0/23–24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कैटिल कैचिंग/पशुकल्याण विभाग के द्वारा प्रतिदिन आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान संचालित कर आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जा रही है। विगत 02 माह में कुल अब तक 1564 गौवंशों को पकड़ कर गौशालाओं में संरक्षित किया गया है, जिसमें 1126 साड़, 438 गाय है। इसके अतिरिक्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों के द्वारा अवैध चट्टों के चालान की कार्यवाही की जा रही है। पेनाल्टी रू0 135000.00जमा किया गया है। साथ ही मान्नीय महापौर द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत समस्त चट्टा संचालकों को 06 माह का समय भी दिया गया है कि वह 06 माह में अपने–अपने चट्टों को नगर निगम से बाहर विस्थापित कर लें।
22	**प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** पत्रांक :– डी/ 653 /कै0कै0/23–24 दिनांक : 09.10.2023 <u>मा0 सदन हेतु टेबल प्रस्ताव</u> नगर निगम कानपुर सीमान्तर्गत बन्दरों की संख्या बढ जाने के कारण आम जनमानस को विभिन्न कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें पकड़ने हेतु विभिन्न माध्यमों ''आई0जी0आर0एस0 पोर्टल, कन्ट्रोल रूम, आम जनमानस की शिकायतों'' के साथ–साथ उच्चाधिकारियों द्वारा भी निर्देश दिये गये है। बन्दरो का आतंक बढ़ जाने से दुर्घटनाये भी बढ़ गयी है, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्तमान में नगर निगम के पास बन्दरो को पकड़ने हेतु कोई भी दस्ता तैनात नहीं है एवं ना ही साधन उपलब्ध है। बन्दरों को पकड़ने का कार्य पूर्व से ही वन विभाग का रहा है परन्तु वन विभाग के संलग्न पत्र दिनांक 09 जनवरी 2023 के द्वारा बंदर पकड़ने के समस्त प्रकरणों को नगर	प्रभारी अधिकारी कैटिल कैचिंग के पत्र संख्या 1019/कै0कै0/23–24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम सीमान्तर्गत बन्दरों की संख्या बढ़ जाने के कारण आम जनमानस को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मंकी कैचिंग दस्ते के द्वारा विगत 02 माह में कुल 650 बन्दरों को पकड़कर नगर निगम सीमा से बाहर छोड़ने की की जा रही है।

	निकायों को दे दिया गया है। उपरोक्तानुसार नगर निगम सीमान्तर्गत आवारा बंदरो को पकड़ने के साथ–साथ बंदरो को वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थान पर छोड़ने की अनुमति मा0 सदन से प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव प्रेषित है। ....**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**	
24	**श्री अमित जायसवाल, पार्षद वार्ड –84 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** विषय : वार्ड 84 में सर्विस लेन के सम्बन्ध में। निवेदन है कि वार्ड–84 जोन–3 जूही लाल कॉलोनी में लगभग 50 से 60 सर्विस लेन है जो कि पूरी तरह से मलवे व बड़े–बड़े पेड़ो से पट चुकी है। निवेदन करना है कि कृपया आपकी कृपा दृष्टि से इस पर कार्यवाही सुनिश्चित हो। ....**स्थलीय निरीक्षण कराकर सर्विस लेन की सफाई कार्य करायें।**	सचिव जलकल के पत्रांक सं0 2332 / जलकल / एस0एस0 दिनांक 30.01. 2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त प्रस्ताव जलकल से सम्बन्धित नहीं है।
25	**श्रीमती सरोज कुमार चड्ढा, पार्षद वार्ड–48 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** अवगत कराना चाहती हूँ कि स्व0 अश्वनी चड्ढा पूर्व पार्षद व समाजसेवी व्यक्ति थे व समाज सेवी व्यक्ति थे क्षेत्र व समाज के लिये उनके द्वारा विगत कई वर्षो तक समाज व क्षेत्र के लिये उनका कार्य स्मरणीय है। अतः उनके इ स योगदान के लिये उनके नाम पर सी0टी0आई0 चौराहे से शास्त्री चौक होते हुए बाई पास तक की रोड का नाम उनके नाम पर कराने हेतु व ब्लाक 01 पार्क उनके नाम पर कर सुन्दरीकरण कराने हेतु निर्देशित करें। ....**परीक्षण करा लें, यदि पूर्व से नामकरण न हो तो नामकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**	अधिशाषी अभियन्ता जोन–5 के पत्र संख्या 583 / अधि0अभि0 जोन–5 / 23–24 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अवर अभियन्ता की प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त सड़क का शिलापट व नामकरण नहीं है क्षेत्रीय लोगों से भी जानकारी किया गया लोगों द्वारा अवगत कराया गया कि शिलापट व नामकरण नहीं है। पार्क का सौन्दर्यीकरण का कार्य उद्यान विभाग से किया जाता है।
26	**श्री धीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी ''धीरू'' पार्षद, वार्ड –52 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।** विषय : जोनल पम्पिंग स्टेशन का पार्क में निर्माण न कराये जाने के सम्बन्ध में। अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रदेश शासन द्वारा मेरे वार्ड का चयन वार्ड के प्रत्येक घर में 24 घन्टे पानी की सप्लाई योजना में हुआ है तथा उक्त योजना का प्रस्ताव वार्ड में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण होना है। ऐसा जानकारी में आया है कि उक्त जोनल पम्पिंग स्टेशन का निर्माण हेतु गीतानगर रामलीला पार्क का चयन नोडल एजेन्सी जल निगम द्वारा किया गया है तथा निर्माण हेतु नगर निगम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। जो कि अनुचित है क्योंकि पार्क में एक जोनल पम्पिंग स्टेशन (ओवर हेड टैंक, अंडरग्राउंड टेंक) पहले से निर्मित है। जिसका पानी मेरे वार्ड को न मिलकर लगभग 3 कि0मी0 दूर रावतपुर गॉव को दिया जा रहा है। दूसरे पम्पिंग स्टेशन के निर्माण से पार्क समाप्त हो जायेगा, जबकि इस पार्क में विगत 40 वर्षो से रामलीला व दशहरा होता है तथा खेलकूद की गतिविधियॉ भी संचालित होती है। व स्थानीय लोग शादी ब्याह भी करते है। अतः उक्त पार्क बचा रहे इसलिये नये जोनल पम्पिंग स्टेशन के निर्माण का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर जो पम्पिंग स्टेशन पहले से निर्मित है उसी का उपयोग उक्त योजना में किया जाये, इस हेतु आवश्यक निर्देश देने की कृपा करें। **अध्यक्ष ने कहा कि जिस वार्ड मे जलापूर्ति होनी है वही जेडपीएस बनाया जाये, साथ मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पार्को में 10 प्रतिशत भूमि ही अधिग्रहण का आदेश है, क्या इसका पालन किया गया है ? आख्या सहित अवगत करायें।** ....**आख्या अगली मा0 कार्यकारिणी समिति में प्रस्तुत करें।**	सचिव जलकल के पत्रांक 2332 / एस0एस0 दिनांक 30.01.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित जोनल अधिशाषी अभियन्ता जोन–6 ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 जल निगम द्वारा 24×7 जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत वार्ड 52 स्थित गीता नगर रामलीला पार्क का चयन किया गया था। उक्त पार्क में पूर्व से ही एक जोनल पम्पिंग स्टेशन व शिरोपरि जलाशय निर्मित है, जिससे वार्ड 52 मे जलापूर्ति की जा रही है। वार्ड 52 मे 24×7 जलापूर्ति किये जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा एक अन्य जोनल पम्पिंग स्टेशन व शिरोपरि जलाशय का निर्माण गीतानगर रामलीला पार्क में कराया जाना है, जिस हेतु अनापत्ति नगर निगम कानपुर स्तर से निर्मित की गयी है। उक्त सन्दर्भ में मा0 सदन की पूर्व बैठक में मा0 अध्यक्ष जी द्वारा यह निर्देशित भी किया गया था कि जिस वार्ड में जलापूर्ति की जानी है वही पर जेड0पी0एस0 बनाया जाये। अतः उक्त कार्य उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराया जाना है तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र नगर निगम, कानपुर स्तर से निर्गत की गयी है, जिससे यह जलकल विभाग नगर निगम, कानपुर से सम्बन्धित नहीं है। और जलकल विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित है।

27 अधिशाषी अभियन्ता ''प्रोजेक्ट'' एवं नगर आयुक्त द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

पत्र संख्या– डी/1692/एए/पी/23–24 दिनांक 17.08.2023

कानपुर महानगर योजना–2021 के अन्तर्गत बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्पोर्टस स्टेडियम के भू–प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रस्ताव

कृपया अवगत कराना है कि बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम जिसका क्षेत्रफल 32,300.76 वर्ग मीटर है। विगत कई वर्षो से स्पोर्टस स्टेडियम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उपरोक्त स्टेडियम के 3,453.59 वर्ग मीटर भाग में पालिका स्टेडियम पर स्पोर्टस काम्पलेक्स का निर्माण कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा किया गया है। पालिका स्टेडियम को नगर निगम द्वारा खेल संकुल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। कानपुर महायोजना –2021 में इसका भू–प्रयोग पार्क के रूप में अंकित है, अतः उपरोक्त के क्रम में भू–प्रयोग परिवर्तन हेतु परामर्श करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि के भू–प्रयोग को स्पोर्टस काम्पलेक्स/स्टेडियम के रूप में परिवर्तन करने हेतु नगर निगम कानपुर को अपने स्वामित्व के समतुल्य क्षेत्रफल की अन्य भू–प्रयोग की भूमि को पार्क के रूप मे ंचिन्हित कर प्रतिपूर्ति करनी होगी।

कानपुर नगर निगम द्वारा अपने स्वयं के स्वामित्व की भूमि हेतु कई सीलों के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गयी, परन्तु जलकल परिसर में उपलब्ध लगभग 40,000.00 वर्ग मी0 की भूमि सर्वथा उपयुक्त पायी गई। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जलकल परिसर में एक 280 एम0एल0डी0 क्षमता का शोधन संयत्र स्थापित है, इसके अतिरिक्त कानपुर नगर की भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए 200 एम0एल0डी0 क्षमता के तीन जल शोधन संयत्र गंगा बैराज पर स्थापित किये गये है। इस प्रकार शहर में 880 एम0एल0डी0 क्षमता के जल शोधन संयत्र स्थापित है। उपलब्ध क्षमता शहर के अगले 30 वर्षो की आवश्यकतानुसार पर्याप्त है एवं परिसर में किसी नए शोधन संयंत्र की आवश्यकता नहीं है। परिसर में उपलब्ध रिक्त भूमि वर्तमान में खुली व अनुपयोगी है। अतः जलकल परिसर के अन्दर उपलब्ध समतुल्य क्षेत्रफल की भूमि का चयन किया गया है। बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम द्वारा आच्छादित भूमि क्षेत्रफल 32,600.76 वर्ग मी0 के भू–प्रयोग परिवर्तन करने एवं इस भूमि की प्रतिपूर्ति हेतु जलकल मुख्यालय, बेनाझाबर में निष्प्रयोज्य पड़ी समान क्षेत्रफल की भूमि को हरित पट्टी/पार्क के रूप में भू–प्रयोग परिवर्तन किया जाना निम्नवत प्रस्तावित है :–

क्र0 सं0	भूमि का विवरण	भूमि का क्षेत्रफल	वर्तमानभू–प्रयोग महायोजना –2031 के अनुसार	प्रस्तावित भू–प्रयोग
01	बृजेन्द्र स्वरूप पार्क, ग्राम घुसरा मऊ आरा जी सं0 207, 235, 236 का जुज भाग	32,600.76 वर्ग मी0	आवासीय/पार्क	स्पोर्टस काम्पलेक्स/ स्टेडियम
02	जलकल मुख्यालय आराज सं0 251 आरा जी सं0 239	40,000.00 वर्ग मी0	वाटर वर्क्स	पार्क

अधिशाषी अभियन्ता प्रोजेक्ट के पत्र संख्या डी/ 2142/अ0अभि0 (प्रोजेक्ट)/23–24 दिनांक 17.02.2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि कानपुर महानगर योजना –2031 के अन्तर्गत बृजेन्द्र स्वरूप पार्क स्थित पालिका स्टेडियम के भू–प्रयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में में कानपुर विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

	घुसरा मऊ का जुज भाग			

	अतः पालिका स्टेडियम द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल 32,300.76 वर्ग मीटर की भूमि का भू–प्रयोग परिवर्तन उपरोक्तानुसार करने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु प्रस्ताव सादर मा0 सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है। ....**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**	

नगर आयुक्त द्वारा निम्न टेबुल प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :–

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 28</u>

अधिशाषी अभियन्ता प्राजेक्ट द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

जाजमऊ स्थित नगर निगम के सीवेज फार्म की भूमि पर ''सोलर–पार्क'' की स्थापना के संबंध में।

कृपया मा0 सदन को अवगत कराना है कि जाजमऊ में नगर निगम स्वामित्व की 1253.00 एकड़ भूमि पर सीवेज फार्म के रूप में स्थापित है। जाजमऊ वाजिदपुर में स्थापित 130 एम0एल0डी0, 42.00 एम0एल0डी0 घरेलू उत्प्रवाह का एस0टी0पी0 एवं 36.00 एम0एल0डी0 का सी0ई0टी0पी0 स्थापित है। उक्त ट्रीटमेंट प्लाण्ट से निकलने वाला शोधित जल इरिगेषन चैनल के माध्यम से उक्त फार्म में प्रवाहित होता है। 36.00 एम0एल0डी0 सी0ई0टी0पी0 प्लाण्ट के रखरखाव एवं संचालन पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिषत निकायांष के रूप में नगर निगम कानपुर द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें विद्युत व्यय भार भी सम्मिलित है। नगर निगम की सीवेज फार्म की भूमि पर ''सोलर–पार्क'' की योजना का प्रस्ताव इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत है, कि इस योजना के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का उपयोग सी0ई0टी0पी0 के संचालन के साथ–साथ मार्ग प्रकाश व्यवस्था में किया जायेगा ताकि नगर निगम का व्यय भार कम हो सके, साथ ही साथ मा0 प्रधानमंत्री जी के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य 500 GW (2030 तक) में नगर निगम अपना योगदान प्रदान कर सके।

अतः मा0 सदन के समक्ष योजना पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए अपनी भूमि का सर्वेक्षण कर कार्य योजना तैयार करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

श्री नवीन पंडित, श्री अभिनव शुक्ला, श्री सौरभ देव, श्री आकर्ष वाजपेई, श्री आनन्द शुक्ला ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है, इससे नगर निगम आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ेगा एवं बिजली पर व्यय भार से मुक्ति मिलेगी, जिससे नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होगी। यह एक ऐतिहासिक कदम हैं।

.......................**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 29</u>

अधिशाषी अभियन्ता प्राजेक्ट द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

परेड मैदान में मल्टीलेवल कार पार्किंग के बगल में स्थित रिक्त भूमि पर सब्जी मण्डी/फल मण्डी बनाये जाने के संबंध में।

कृपया मा0 सदन को अवगत कराना है कि कानपुर नगर में कोई भी व्यवस्थित फल मण्डी/सब्जी मण्डी स्थापित नहीं है। जिस कारण आम जनमानस को इस हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त के दृष्टिगत परेड मैदान में मल्टीलेवल पार्किंग के बगल में स्थित रिक्त भूमि पर एक सब्जी/फल मण्डी जिसमें सभी अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हो, की परिकल्पना तैयार करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करने हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

...............**तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी। आगणन तैयार कर अगले सदन की बैठक में प्रस्तुत करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 30</u>

अधिशाषी अभियन्ता प्राजेक्ट द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

स्वरूप नगर में नगर निगम स्वामित्व की रिक्त भूमि पर ''महिला मार्केट–कामर्शियल कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु आंगणन की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए स्वीकृति हेतु प्रस्ताव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने के संबंध में

माननीय सदन के सादर संज्ञान में लाना है कि स्वरूप नगर घण्टाघर में पड़ी रिक्त भूमि जो शहर के मध्य में स्थित है को मा0 प्रधानमंत्री जी की महिला सशक्तीकरण के सूत्रएवं प्रेरणा से एक ''महिला मार्केट'' (व्यवसायिक काम्पलेक्स) के रूप में विकसित करने की परिकल्पना तैयार की गई है।

अवगत कराना है कि स्वरूप नगर में नगर निगम स्वामित्व में रिक्त 3567.51 वर्ग मी0 भूमि पर उक्त निर्माण कराये जाने की मंशानुरूप निर्माण कराये जाने संबंधी संकल्पना (Concept) आधारित ड्राइंग एवं डिजाईन तैयार कर मा0 सदन के समक्ष दिनांक 15.09.2021 को अनुमोदनार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर मा0 सदन द्वारा स्वरूप नगर में नगर निगम स्वामित्व में 3567.51 वर्ग मी0 की रिक्त भूमि पर पी0पी0पी0 मोड पर आधारित ''महिला मार्केट–कामर्शियल कॉम्पलेक्स'' का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति सर्वसम्मति से प्रदान की गयी थी। ''म्युनिसिपल–बाण्ड'' की प्रक्रिया के क्रम में उपरोक्त धनराषि के प्रतिपूर्ति के रूप में समानुपातिक धनराशि आगामी वर्षो में नगर निगम कोष में राज्य वित्त आयोग से उपलब्ध रहेगी। अतः धनराषि की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण स्वंय के संसाधनों से किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने के निर्देष प्राप्त हुए हैं। अतः प्राप्त निर्देशानुसार उक्त व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु प्रारम्भिक आंकलन तैयार किया जा रहा है। <u>नगर निगम अधिनियम की धारा 136 (2)</u> के अन्तर्गत प्रस्तावित धनराशि के आंगणन स्वीकृति का अधिकार उ0प्र0 शासन, नगर विकास विभाग में निहित है।

अतः कार्यहित में व्यवसायिक काम्पलेक्स के निर्माण की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए आंगणन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करनें संबंधी स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

.... **उक्त व्यावससिक काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु उ0प्र0 शसन को आगणन प्रेषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपरोक्त के साथ कानपुर नगर निगम स्थित मानक तकनीकि संस्थान एच0बी0टी0यू0 को पी0एम0सी0 नामित करते हुए कार्य सम्पादन नगर निगम द्वारा किया जायेगा। आगणन शासन को प्रेषित करने के पूर्व एच0बी0टी0यू0 से वेटिंग कराने के पश्चात् शासन को प्रेषित किया जाये।**

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 31

अधिशाषी अभियन्ता प्राजेक्ट द्वारा प्रस्तुत, नगर आयुक्त द्वारा हस्ताक्षरित एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

मा0 सदन की बैठक दिनांक 30.07.2022 में स्वीकृत प्रस्ताव संख्या–165 में आंशिक संशोधन करते हुए पालिका स्टेडियम मे फ्लड लाइट लगवाने व क्रिकेट स्टेडियम को विश्वस्तरीय बनाये जाने के संबंध में।

मा0 सदन के संज्ञान में लाना है कि दिनांक 30.07.2022 को सम्पन्न हुई नगर निगम के मा0 सदन की बैठक के प्रस्ताव संख्या–165 द्वारा पालिका स्टेडियम में स्मार्ट सिटी से फ्लड लाइट लगवाने व क्रिकेट स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाये जाने तथा देखरेख किये जाने हेतु मा0 सदन द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था।

उपरोक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन हेतु अनुरोध है कि प्रस्ताव में आंशिक संशोधन करते हुए कार्य नगर निगम से कराने एवं संचालन की प्रक्रिया बी0ओ0टी0 पद्धति से कराये जाने की स्वीकृति/निर्णय हेतु प्रस्ताव मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

......................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

श्री नवीन पंडित ने मा0 महापौर जी सदन मे उपस्थित सदस्यों एवं पत्रकार बन्धुओं के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग सदन बुलाते है, उसमें कुछ प्रस्ताव पास हो जाते है और कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु शासन को अग्रसारित कर दिया जाता है। जो काफी समय तक शासन स्तर पर लम्बित रहते है, इनकी मानिटरिंग करायी जानी चाहिये। कानपुर महानगर में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था अत्यधिक खराब है। ई0ई0एस0एल0 कार्य नहीं कर रहा है। हमलोगों को जो लाईटें दी गयी थी, वह आज तक नही लगी है। कृपया मार्ग प्रकाश की व्यवस्था दुरूस्थ कराये जाने के प्रति ध्यान दिया जाये।

इसी के साथ मेरा प्रस्ताव है कि –

टेबुल प्रस्ताव संख्या– 32

श्री नवीन पंडित द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : बी0एन0 भल्ला में विश्वस्तरीय ऑडिटोरियम बनाने के सम्बन्ध में।

सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहते है कि बाबूपुरवा स्थित बी0एन0 भल्ला अस्पताल की जगह एक विश्वस्तरीय ऑडिटोरियम बनाये जाने का प्रस्ताव करते है।

आज समय की मांग को देखते हुए नगर महापालिका का एक सार्वजनिक ऑडिटोरियम कानपुर मे आवश्यकता है, जिससे कानपुर शहर वासियों को भला हो सके।

.................तद्नुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।

अध्यक्ष ने कहा कि मार्ग प्रकाश की व्यवस्था हेतु सभी वार्डो में 15–15 लाईटें लग जायेंगी एवं 25 लाख में शेष बचे 05–05 लाख के कार्य भी शीघ्र करा दिये जायेंगे।

श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू' ने कहा कि पार्षदो को विकास कार्यो हेतु आवंटित धनराशि बजट मे सम्मिलित है। इसे शीघ्र पूर्ण कराया जाये, जिससे धनराशि का उपयोग हो सके। लाइटों को लगवाया जाये। अभी जो

हमारे पार्षद भाई पहली बार निर्वाचित होकर आये है। वह लाईटों के लिये अत्यधित परेशान है। उनके यहॉ लाईटें लगवायी जाये। मार्ग प्रकाश विभाग में व्यवस्था इतनी खराब है कि 08 माह बाद भी स्टटार, स्विच एव ड्राइवर भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। प्रत्येक वार्ड मे ंकितनी–कितनी लाईटे दी गयी है, अवगत कराया जाये। मार्ग प्रकाश में सामग्री अधिक खरीद ली जाये जिससे खराब लाईटों को सुगमता से ठीक कराया जा सके।

श्री राज किशोर यादव ने कहा कि क्या हम विकास कार्य हेतु आवंटित धनराशि में शेष बची 05 लाख की धनराशि से लाईटें मिल सकती है। यदि मिल सकती है तो जो मा0 पार्षद चाहते है, उन्हें लाईटें उपलब्ध करायी जाये, क्यो कि मार्ग प्रकाश में स्थिति इतनी खराब है कि ड्राइवर के लिये भी परेशान होना पड़ता हैं। यदि 05 लाख से लाईटें उपलब्ध हो जाये तो वार्ड की गलियों का अंधेरा दूर हो जायेगा। आगामी लोकसभा–2024 का चुनाव है गलियों में निकलेंगे तो हमारा सम्मान बचा रहेगा।

श्री सौरभ देव ने कहा कि पहले या तो निर्धारित हो जाये कि मार्ग प्रकाश का कार्य कौन अधिकारी देख रहा है।

नगर आयुक्त ने सदस्यों को अवगत कराया कि श्री रमेश कुमार पाल, प्रभारी मार्ग प्रकाश सेवानिवृत्त हो चुके है एवं श्री मोहित गुप्ता, सहायक अभियन्ता का भी गोरखपुर स्थानान्तरण हो गया है। ई0ई0एस0एल0 कर्मियों क स्थान पर नयी भर्ती की जा रही है। श्री रमेश कुमार पाल को कंसलटेंट के रूप मे रखे जाने हेतु स्वीकृति ले ली गयी है, शीघ्र ही कार्यादेश मिल जायेगा।

श्री धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि मा0 महापौर जी जब आप पार्षद नही थी उसके पूर्व डम्प पर बेलदार एवं लेबर की व्यस्था रहती थी। जो छोटे मोटे मरम्मत कार्य नाली, सड़क की टूट–फूट इत्यादि हो जाते थे। यह व्यवथा लगभग समाप्त हो गयी है, जिससे छोटे–छोटे मरम्मत के कार्य भी नहीं हो पाते है यदि जोन के अधिशाषी अभियन्ता को रू0 10 हजार तक के कार्य कराये जाने पावर दे दी जाये तो आवश्यक एवं त्वरित कार्यो को कराने में सुगमता होगी। नगर आयुक्त जी चाहे तो इसकी सीमा भी निर्धारित कर सकते है। क्योंकि छोटे–छोटे कार्यो को कराने के लिये काफी ठेकेदारों से कहना पड़ता है और जा कार्य 10–15 हजार में हो सकता है उसके लिये निविदा के माध्यम से टेण्डर आमंत्रित किये जाते है जिससे अधिक धन खर्च करना पड़ता है। मा0 महापौर जी आप द्वारा प्रत्येक वार्ड में जो 03–03 सफाई कर्मचारी दिये गये है। उसके लिये धन्यवाद मेरा सुझाव है कि जिन वार्डो में कर्मचारी सेवानिवृत्त हुये, मृतक एवं स्थानान्तरित कर्मचारियों के स्थान पर अलग से कर्मचारी दिये जाये। कानपुर महानगर में बंद लाईटों की मरम्मत की शिकायत हेतु ई0ई0एस0एल कम्पनी द्वारा एक टोल फ्री नम्बर जारी किया गया था। इससे नागरिकों को काफी सुविधा मिली थी। मेरा सुझाव है कि ई0ई0एस0एल0 की भांति नगर निगम द्वारा भी मार्ग प्रकाश की समस्या हेतु टोल फ्री नम्बर जारी किया जाये, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके। जिन इलाकों मे ंसीवर लाईने उन इलाकों में सीवर या तो नालो से बह रहा है या तो नालियों से क्योकि सीवर लाईनें कही न कही चोक हैं यदि सीवर लाईनों का सर्वेक्षण कराकर डि–सील्टिंग का कार्य करा दिया जाये, तो सीवर समस्या से निजात मिल सकती है।

श्री मनीष अवस्थी मुख्य अभियन्ता ने अवगत कराया कि रू0 10 हजार की पावर अधिशाषी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे अन्य नगर निगमों में क्या व्यवस्था है, जानकारी कर कार्यवाही की जायेगी।

डॉ0 अमित सिंह ने कहा कि सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारी के स्थान पर कर्मचारी दिये जाने का कोई शासनादेश नहीं है। स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है, तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री सौरभ देव ने कहा कि हम कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखने की बात कर रहे है।

श्री अभिषेक गुप्ता मोनू ने कहा कि नगर आयुक्त जी द्वारा अभी जो प्रस्ताव सदन पटल पर पढ़े गये है। वह पालिसी मैटर है जिसे मा0 महापौर जी व मा0 कार्यकारिणी के माध्यम से लाया जाना चाहिए। जब टैक्स बढ़ाया जाना होता है तो मा0 कार्यकारिणी एवं सदन में लाकर लागू कर दिया जाता है। इसे भी मा0 कार्यकारिणी/सदन की बैठक में लाया जाये, ताकि इस पर विचार किया जा सके।

अध्यक्ष ने कहा कि सभी पार्षदों को प्रस्ताव की प्रति दी जायेगी।

हाजी सुहैल अहमद ने कहा कि कानपुर नगर निगम के सभी पार्षदों की परेशानियों से अवगत कराना चाहता हूँ। पार्षद सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। सभी मा0 पार्षदो, महापौर एवं अधिकारियों का एक वाट्सअप ग्रुप बना है, अधिकांशतः पार्षदों की समस्या यही है कि कोई सुनता नहीं है। कोई उसका उत्तर नहीं देता है। 08 महीने हो गये हैं कोई सार्थक निर्णय नहीं ले पाये है। पार्षदों की समस्याओं के सम्बन्ध में सुनवाई हेतु कोई अधिकारी नामित नही है, जिससे एक पार्षद से वार्ता कर शहर की समस्याओं का निराकरण हो सके। कोई एक अधिकारी नामित कर दें ताकि पार्षदों की समस्याओं का निराकरण हो सके।

नगर आयुक्त ने अवगत कराया कि श्री जगदीश यादव, अपर नगर आयुक्त पूर्व से नामित है।

श्री अभिषेक गुप्ता मोनू ने कहा कि कई नये अधिकारी आये है, जिनसे सदन के सदस्य परिचित नहीं है।

अध्यक्ष के निर्देश के क्रम में श्री अमित कुमार भारतीय, अपर नगर आयुक्त एवं श्री अवनीन्द्र कुमार, अपर नगर आयुक्त ने अपना परिचय दिया।

अध्यक्ष ने कहा कि हमलोग प्रेम की नगरी में रहते है। हमरा शहर पूरे विश्व, पूरे देश, पूरे प्रदेश के नगरों में खुशहाली में 13 वें स्थान पर है। कल से 12 से सायं 02 बजे तक श्री जगदीश यादव, अपर नगर आयुक्त पार्षदों की समस्यायें सुनेंगे, मैने नगर आयुक्त को आदेश दे दिये है।

श्री अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि मेरे वार्ड में मार्ग प्रकाश के 02 कर्मचारी तैनात है, जो कोई कार्य नही करते है और आकर चले जाते है। मेरी शिकायत के बाद भी इनका वेतन निर्गत किया जा रहा है। इसकी जॉच करायी जाये।

विगत दिवस में नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 02–02–2024 को आदेश जारी किया गया है कि कोई भी पत्रावली सामान्य निविदा के माध्यम से प्राजेक्ट सेल से निविदा में नहीं लगायी जायेगी। मै सदन को बताना चाहूॅगा कि प्रोजेक्ट विभाग में किसी भी तरह पार्षद कोटे की पत्रावलियॉ निविदा में नहीं लगायी जाती है। तो फिर ये कौन सी पत्रावलियॉ है, जिसको रोक लगाने के लिये नगर आयुक्त को आदेश जारी करना पड़ा। 08 माह से पार्षद कोटा बन्द है। सामान्य निविदा से क्यों फाईलें की गयी, जॉच का विषय है।

अध्यक्ष ने कहा मुख्य अभियन्ता महोदय इसकी जॉच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जहॉ तक मार्ग प्रकाश का प्रश्न है आपके वार्ड अन्तर्गत संजय वन में सोलर प्लान्ट लगाकर 55–60 सोलर लाईटें लगायी गयी है।

श्री अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि संजय वन मेरे वार्ड अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री आकर्ष वाजपेई ने कहा कि मन्दिरा/ट्रस्ट की जमीन को पंचशाला में हेरफेर करके फर्जी दस्तावेंजों के आधार पर दाखिल खारिज करा लिया गया है।

अध्यक्ष ने कहा कि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च की जमीन की जमीन यदि फर्जी दस्तावेजों से दाखिल खारिज कराया जा रहा है, तो इसकी जॉच कर कार्यवाही की जाये।

श्री अनिरूद्ध सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने अवगत कराया कि यदि कोई ऐसा तथ्य संज्ञान में लाया जाता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती अन्जुलि दीक्षित ने कहा कि लाईटो में ड्राइवर की आवश्यकता तो है ही लेकिन लाईटों की पत्रावली पास नही हो रही है, गुजैनी वार्ड के पार्को की लाईट विगत 05 वर्ष से खराब है। 06–06 महीनों से मार्ग प्रकाश की लाईटे नहीं जल रही है।

श्री जितेन्द्र कनौजिया ने कहा कि पिछले सदन के कार्यवृत्त में टेबुल प्रस्ताव संख्या–23 में वार्ड–29 ओमपुरवा के अन्तर्गत शिव मन्दिर के बगल में नगर निगम की भूमि पर वार्ड की जनता के शारीरिक सुविधा हेतु एक व्यायामशाला बनवाने जाने हेतु नगर निगम की भूमि के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी ''सम्पत्ति'' जॉच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई है।

श्री अनिरूद्ध सिंह, प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति ने कहा कि इसको दिखवा लेता हूॅ।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश की स्वतंत्रता में योगदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया है। स्वतंत्रता सेनानी का परिवारो के किसी एक मकान को गृह कर/जलकर से छूट दिये जाने हेतु मा0 सदन में पारित प्रस्ताव के आधार शासन को दिनांक 21.12.2021 को पत्र प्रेषित किया गया था, किन्तु शासन से जवाब नही आया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारी सरकार के साथ है। गृह कर में छूट के लिये शासन में दिखवा लिया जाये कि कब तक आदेश निर्गत हो जायेगा।

श्री अभिषेकक गुप्ता मोनू ने कहा कि पिछले 10 वर्षो से हम शासन से अनुमति मांग रहे है, परन्तु सार्थक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, यह स्थिति ठीक नही है। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि पूर्व सैनिकों को भी शहर में स्थित कम से एक मकान में गृह कर में छूट प्रदान की जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि जब मैने महापौर की शपथ ली थी, तब से मेरी मंशा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गृहकर/सीवर कर, जलकर में छूट दिलाये जाने की रही है। मेरे पास जब भी कोई स्वतंत्रता सेनानी आता है, तो प्राथमिकता तत्काल कार्यवाही कराती हूँ, परन्तु जलकर/सीवर कर से अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। मात्र गृह कर पर छूट प्रदान की जा सकती है, इसके लिये शासन को पत्र प्रेषित किया गया है।

श्री पवन गुप्ता ने कहा कि मेरे वार्ड में स्ट्रीट वेन्डर्स है, उनसे कोई यूजर चार्ज नहीं लिया जाता है, यहाँ से नगर निगम को 2 से 5 लाख तक का राजस्व प्राप्त हो सकता है।

श्री सौरभ देव ने कहा कि पूर्व में बजट सभी सदस्यों को पढ़ने हेतु दिया जाता था, परन्तु वर्तमान मे ंयह नई प्रथा चालू की गयी है कि बजट टेबुल पर दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि समस्त पार्षदों को फिर से बजट दिया जाये, जिससे वह इसे पढ़कर अपना मन्तव्य/सुझाव दे सके। जबरदस्ती बजट न लागू किया जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि बजट नियमानुसार पास होगा व किसी को कोई आपत्ति है तो बजट की पार्षदो उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 33</u>

श्री अभिनव शुक्ला, पार्षद वार्ड 66, श्री सौरभ देव, पार्षद वार्ड–15, श्री कौशल मिश्रा, पार्षद वार्ड–37 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना ।

अवगत कराना है कि हॉट मिक्स प्लान्ट मे ंलम्बे समय से अनियमिता पायी जा रही है और कुछ प्लान्ट तो ऐसे है, जिनका रजिस्ट्रेशन तो है पर नगर निगम से कार्य लेकर दूसरे प्लान्ट को देते है, जिससे कि कार्य की गुणवत्ता सन्तोषजनक नहीं होती है व आम जनमानस को नगर निगम के प्रति अविश्वास पैदा होता है।

अतएव आपसे विनम्र आग्रह है कि हॉट मिक्स प्लान्ट की समिति जॉच कराये जाने का कष्ट करें।

श्री अभिनव शुक्ला ने कहा कि नगर निगम में पंजीकृत कई लोगों हॉट मिक्स प्लान्ट नहीं चल रहे है, किन्तु निविदा प्राप्त कर दूसरों को को देते है, इसकी जॉच करायी जाये।

अध्यक्ष ने कहा कि इसकी समिति बनाकर 03 दिवस में जॉच कर अवगत कराये।

.... मा0 पार्षद एवं अधिकारियों की समिति बनाकर जॉच की जाये एवं जॉच होने तक दिनांक 23.02.2024 में हॉट मिक्स प्लान्ट की निविदा को स्थगित रखा जाये एवं निविदा दिनांक 29.02.2024 तक बढ़ायी जाये।

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 34</u>

श्री आकर्ष वाजपेई, पार्षद, वार्ड–32, श्री अभिनव शुक्ला, पार्षद, वार्ड –66, श्री सौरभ देव, पार्षद, वार्ड–15, श्री पवन गुप्ता, पार्षद, वार्ड–37 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषय : <u>पंचशालाओं में फर्जी तरीके से मंदिर की जमीनों को दाखिल–खारिज कराये जाने के सम्बन्ध में।</u>

इस सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें हर गली में हिन्दू मन्दिर व हिन्दू ट्रस्ट है और आज दुर्भाग्य ऐसा है कि न मंदिर दिख रहे है और न ही ट्रस्ट। पुराने मन्दिरों व ट्रस्ट की जमीनों के पंचशालाओं कि जॉच की जाये और फर्जी दाखिल–खारिज की इन धांधलियों पे रोक लगायी जाये।

.................**मुख्य कर निर्धारण अधिकारी जॉच कर कार्यवाही की करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 35</u>

श्री नवीन पण्डित, पार्षद वार्ड 93, श्री आदर्श वाजपेई, पार्षद वार्ड–32, श्री नीरज वाजपेई, पार्षद, वार्ड–64 द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर जी द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

विषयः मेट्रो द्वारा नगर निगम के फुटपाथों व पार्को में अवैध मनमाने तरीके से दुकानों का निर्माण कर मा0 न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में।

मा0 सउन के माध्यम से हम लोग जानना चाहते है कि मेट्रो द्वारा स्वरूप नगर सहित नगर के कई स्थलों पर अवैध रूप से पार्को के किनारे दुकान बनाकर मा0 न्यायालय के आदेशों के विपरीत कार्य किया है। कृपया मेट्रो विभाग के खिलाफ जॉच कराकर उचित कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

.................**मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुसार उद्यान अधीक्षक जॉच कर कार्यवाही करें।**

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या– 36</u>

श्री नवीन पण्डित, पार्षद वार्ड–93 व सभी मा0 पार्षदों द्वारा प्रस्तुत एवं मा0 महापौर द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव पर विचार किया जाना।

दिनांक 19.02.2024 के सदन में आपको राममन्दिर निर्माण हेतु आपको (सदन, नगर निगम कानपुर) धन्यवाद समर्पित है।

मान्नीय प्रधानमंत्री महोदय जी को कानपुर नगर निगम का सदन माननीय महापौर प्रमिला पाण्डेय जी की अध्यक्षता में अहम भूमिका के दृष्टिगत सादर धन्यवाद देता है।

......................**मान्नीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में श्रीराम मन्दिर के निर्माण हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया गया।**

अध्यक्ष महोदया ने दिनांक 19.02.2024 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत प्रदान करने के लिये कहा।

.............**सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 19.02.2024 को सम्पन्न हुयी बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।**

अन्त में राष्ट्रगान के पश्चात् बैठक की कार्यवाही का समापन हुआ।

ह0 ....

(प्रमिला पाण्डेय)
महापौर